मु0न0:–147/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 23.11.2022

मु0न0 147/2022

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. जगराम पुत्र केदार जाति माली निवासी असरो तहसील टोडाभीम। (सायल)

बनाम

1. अतर पुत्र केदार
2. अर्जुन पुत्र केदार
3. कमल पुत्र केदार
4. बाबूलाल पुत्र केदार
5. सम्पतराम पुत्र केदार
6. मोहन पुत्र केदार

समस्त जातियान माली निवासीयान असरो तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट प्रार्थी
श्री संजय गहलोत एडवोकेट गैरसायलान न0 1 ता 6

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम असरो की आराजी ख0न0 910/0.17, 909/0.07 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे प्रार्थी 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। खातेदारी मे दर्ज रामप्यारी पत्नि केदार जो प्रार्थी न0 1 ता 6 की माता है का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ही उसके कायम मुकाम वारिस है। वर्णित आराजी के 1/7 हिस्से को प्रार्थी काश्त कर रहा है तथा काबिज है, लेकिन रिकार्ड जमाबन्दी मे बटवारा नही हुआ है। प्रार्थी सीधा–साधा है, जबकि अप्रार्थीगण सहखातेदार लडाकू, झगडे वाले व्यक्ति है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत पैदा करते रहते है।

बाका दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर था कि अप्रार्थी न0 1 ता 6 प्रार्थी के पास आये और सायल को धमकी दी कि तेरे हिस्से की भूमि पर हम मकान का निर्माण करेगे। तू हमारा कुछ भी नही बिगाड सकता है। तेरी इस भूमि मे कोई हिस्सा नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केश बखूबी साबित है। सुवधि का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना संभव नही है। जबकि अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम असरो की आराजी ख0न0 910/0.17, 909/0.07 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे ... हिस्से की आराजी मे मकान निर्माण नही करे तथा सायल के कब्जे मे ... पैदा नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:40 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि ग्राम असरो की आराजी ख0न0 910/0.17, 909/0.07 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार है लेकिन प्रार्थी ने आज से करीब 30 वर्ष पूर्व उक्त आराजी मे बटवारा कर अपने हिस्से की भूमि को जरिये इकरारनामा विकय कर ग्राम महवा जिला दौसा मे ही निवास कर रहा है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर वर्तमान मे चिम्मन, खिलाडी, हरिकिशन, छोटे पुख्ता निर्माण कर निवास कर रहे है। वर्णित आराजी पर सायल का कब्जा नही है। और नाही वर्णित आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी न0 1 ता 6 को हैरान परेशान करने की गरज से माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत व निराधार है। इसलिये सायल का कब्जा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थी 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। खातेदारी मे दर्ज रामप्यारी पत्नि केदार जो प्रार्थी न0 1 ता 6 की माता है का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ही उसके कायम मुकाम वारिस है। वर्णित आराजी के 1/7 हिस्से को प्रार्थी काश्त कर रहा है तथा काबिज है, लेकिन रिकार्ड जमाबन्दी मे बटवारा नही हुआ है। प्रार्थी सीधा–साधा है, जबकि अप्रार्थीगण सहखातेदार लडाकू, झगडे वाले व्यक्ति है, प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केश बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना संभव नही है। जबकि अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम असरो की आराजी ख0न0 910/0.17, 909/0.07 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे प्रार्थी के हिस्से की आराजी मे मकान निर्माण नही करे तथा प्रार्थी के कब्जे मे रूकावट पैदा नही करे।

अप्रार्थी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार है लेकिन प्रार्थी ने आज से करीब 30 वर्ष पूर्व उक्त आराजी मे बटवारा कर अपने हिस्से की भूमि को जरिये इकरारनामा विकय कर महवा जिला दौसा मे ही निवास कर रहा है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर वर्तमान मे चिम्मन, खिलाडी, हरिकिशन, छोटे पुख्ता निर्माण कर निवास कर रहे है। वर्णित आराजी पर सायल का कब्जा नही है। और नाही वर्णित आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी न0 1 ता 6 को हैरान परेशान करने की गरज से माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत व निराधार है। इसलिये सायल का कब्जा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम असरो की आराजी ख0न0 909/0.07, 910/0.17 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे प्रार्थी जगराम पुत्र केदार हिस्सा 1/8 का तथा बकिया हिस्से के अप्रार्थी न0 1 ता 6 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। परन्तु ... वकील का बहस के दौरान कथन रहा कि गैरसायलान द्वारा निर्माण कार्य ... गया। पत्रावली मे शामिल तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट अनुसार ख0न0 909 ... तथा ख0न0 910 मे आवासीय मकान व पाटोर ... उक्त दोनो खसरा नम्बरान कृषि कार्य के उपयोग मे नही आना दर्शाया है। ...ल व गैरसायलान सहखातेदार दर्ज रिकार्ड साबित है। अतः आवासीय व सुखाचार के मध्येनजर अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:40 IST
Reason: Self Attested

(पूजा मीना)
... अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्षकारान के विरूद्व साबित है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित नही है।

2. सुविधा का संतुलनः– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित नही है।
3. अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। और यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner